बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

एफआईडीडी.केंका.एलबीएस सं.एस1774/02.01.001/2025-26 22 जनवरी 2026

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी के संयोजक बैंक

महोदया/ प्रिय महोदय,

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई): 2025-30 – कार्रवाई बिंदु

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी-एससी) की उप समिति द्वारा अनुमोदित 'वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई): 2025-30' का विमोचन गवर्नर के कर कमलों से 01 दिसंबर 2025 को किया गया।

2. एनएसएफआई: 2025-30 का उद्देश्य सहक्रियात्मक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए देश में वित्तीय समावेशन के प्रयासों को गति प्रदान करना है और इस दिशा में पांच कार्यनीतिक उद्देश्यों (पंच-ज्योति) को सामने रखता है। इस पंच-ज्योति में 47 कार्रवाई बिंदुओं के माध्यम से लागू की जाने वाली संरचित सिफारिशें शामिल हैं। इनमें से चार कार्रवाई बिंदु ऐसे हैं जिनके संबंध में एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी को कार्यान्वयनकर्ता स्टेकहोल्डरों के रूप में चिह्नित किया गया है। इनका ब्योरा अनुबंध में दिया गया है।

3. एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी उक्त कार्रवाई बिंदुओं को लागू करने हेतु अनुबंध में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समय रहते कार्य योजना तैयार करें। की गई कार्रवाई की समीक्षा एसएलबीसी और डीसीसी की बैठकों में तब तक की जाती रहे जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाए। कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाएगी, जो मार्च 2026 की समाप्ति वाली अवधि से प्रारंभ होगी। इससे संबंधित की गई कार्रवाई पर पहली रिपोर्ट आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 15 अप्रैल 2026 तक प्रस्तुत की जाए।

भवदीया,

ह/-

(निशा नम्बियार)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

(अनुलग्नक: यथोक्त)

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय,10वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग,पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई -400001
Financial Inclusion & Development Dept, Central Office,10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-1
टेली Tel:022-22601000 फैक्स: 91-22-22621011/22610943/22610948 ई-मेल : cgmincfidd@rbi.org.in
हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

"**चेतावनी**: मेल रिज़र्व बैंक-द्वारा डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी भी तरीके से जवाब मत दीजिए।"
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

अनुबंध

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2025-30 - एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी के लिए कार्य बिंदु

कार्यनीतिक उद्देश्य-I - *परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों हेतु वित्तीय रक्षा और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए न्यायसंगत, उत्तरदायी और किफ़ायती वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग में सुधार करना।*

- **कार्रवाई बिंदु I - अंतिम छोर के एक्सेस के साम्य, पहुंच, संगतता और गुणवत्ता के स्तर में सुधार** [संदर्भ - 1-I.1 (एनएसएफआई दस्तावेज़ के अनु**बंध**-II के अनुसार)]

- समय-सीमा – दिसंबर 2030
- एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

i.अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाओं के ऐक्सेस के साम्य, पहुंच, संगतता और गुणवत्ता के स्तर में बड़े पैमाने पर सुधार लाने के लिए एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक राजस्व केंद्र में कम से कम एक बैंकिंग आउटलेट – शाखा/ डिजिटल बैंकिंग इकाई (डीबीयू)/ नियत केंद्र वाले कारोबार प्रतिनिधि आउटलेट (एफबीसी) की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि वित्तीय सेवाएं देश के कोने-कोने तक उचित और समान रूप से उपलब्ध की जा सकें। ऐसे आउटलेटों, पर्याप्त रूप से बैंकों के नियंत्रणाधीन और निगरानी में हैं, से अपेक्षित है कि वे न्यूनतम मानक वित्तीय सेवाओं के सेट को उपलब्ध कराएं, यथा- जमाराशि, आहरण, विप्रेषण, खाता खोलना और सेवा प्रदान करना, जन सुरक्षा योजनाएं, ऋण उपलब्धता/ आवेदन, पेंशन योजना आदि।

ii. इसके अलावा, अंतिम छोर के एक्सेस की गुणवत्ता में सुधार के लिए एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी को सूचित किया जाता है कि वे मार्च 2026 तक समयबद्ध योजना, बैंक-वार आबंटन, और निगरानी तंत्र तैयार करें ताकि बैंकिंग आउटलेटों – शाखा/ डिजिटल बैंकिंग इकाई/ नियत केंद्र वाले कारोबार प्रतिनिधियों (एफबीसी) – की स्थापना करते हुए बैंक रहित सभी राजस्व केंद्रों को नपे-तुले तरीके से कवर किया जा सके। इस संबंध में एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित रोडमैप को अपनाएं:

क) दिसंबर 2026 तक टियर-I से टियर-V तक के केंद्रों में 50% बैंक सेवा रहित केंद्रों और टियर-VI केंद्रों में 15% बैंक सेवा रहित केंद्रों को कवर करना।

ख) दिसंबर 2027 तक टियर-I से टियर-V तक के केंद्रों में 100% बैंक सेवा रहित केंद्रों और टियर-VI केंद्रों में 30% बैंक सेवा रहित केंद्रों को कवर करना।

ग) दिसंबर 2028 तक टियर-VI केंद्रों में 50% बैंक सेवा रहित केंद्रों को कवर करना।

घ) दिसंबर 2029 तक टियर-VI केंद्रों में 75% बैंक सेवा रहित केंद्रों को कवर करना, और,

ङ) दिसंबर 2030 तक टियर-VI केंद्रों में 100% बैंक सेवा रहित केंद्रों को कवर करना।

iii. संयोग से, अग्रणी बैंक योजना संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक रहित गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोलने, बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस-साधित बैंकिंग आउटलेट खोलने की स्थिति' एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी बैठक के लिए एक सांकेतिक कार्यसूची है। इस संदर्भ में, एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी को सूचित किया जाता है कि वे अब से एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी की बैठक में अंतिम छोर के एक्सेस की स्थिति की समीक्षा करें।

- **कार्रवाई बिंदु II - डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तारण और गहनीकरण (ईडीडीपीई)** [संदर्भ - 7-I.6(बी) (एनएसएफआई दस्तावेज़ के अनुबंध-II के अनुसार)]

- समय-सीमा – मार्च 2027
- एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तारण और गहनीकरण (ईडीडीपीई) कार्यक्रम प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य चिह्नित जिलों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को डिजिटल भुगतान की कम से कम एक पत्रति अर्थात् डेबिट/ रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, यूएसएसडी, एईपीएस आदि प्रदान करनी है। इस कार्य में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, ईडीडीपीई को निम्नलिखित पड़ाव पार करने का लक्ष्य हासिल करना चाहिए – (i) मार्च 2026 तक 80% जिलों में 100% कवरेज, और (ii) मार्च 2027 तक सभी चिह्नित जिलों में 100% कवरेज।

(निम्नलिखित राज्यों/ संघशासित क्षेत्रों की एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी के लिए कार्रवाई - अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल)

कार्यनीतिक उद्देश्य II - *महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय समावेशन के लिए लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना और परिवारों, विशेष रूप से अल्प सेवा-प्राप्त और दुर्बल वर्गों की वित्तीय समुत्थानशीलता में सुधार के लिए विभेदित कार्यनीतियां अपनाना*

- **कार्रवाई बिंदु I - महिला कारोबार प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाना।** [संदर्भ - 14-II.2 (एनएसएफआई दस्तावेज़ के अनुबंध-II के अनुसार)]
- समय-सीमा – दिसंबर 2028
- एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

  एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी द्वारा सदस्य बैंकों को सूचित किया जाए कि वे 30% महिला कारोबार प्रतिनिधियों के लक्ष्य को निम्नानुसार नपे-तुले तरीके से हासिल करें:

  क) कारोबार प्रतिनिधियों की ऑनबोर्डिंग में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अब से कुल संख्या में महिला कारोबार प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी कम से कम 30% है।

  ख) बैंक को यह प्रयास करना चाहिए कि महिला कारोबार प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी दिसंबर 2026 तक 20%, दिसंबर 2027 तक 25% और दिसंबर 2028 तक 30% बढ़ानी चाहिए।

कार्यनीतिक उद्देश्य III - *आजीविका, कौशल विकास और समर्थक पारिस्थितिकी तंत्र तथा वित्तीय समावेशन के साथ उनके संबंधों का तालमेल करना।*

- **कार्रवाई बिंदु I – एनएसडीसी, भारत सरकार और राज्य सरकार की कौशल ऋण योजनाओं पर सूचना का प्रसार** [संदर्भ - 24-1II.3 (ए) (एनएसएफआई दस्तावेज के अनुबंध-II के अनुसार)]
- समय-सीमा – सतत्
- एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

  एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी एनएसडीसी कौशल ऋण योजनाओं, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित विवरण व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी की वेबसाइट पर होस्ट करें। इसके अलावा, एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी ज़िले के स्तर पर और खंड (ब्लॉक) के स्तर पर एलडीएम/ एलडीओ के माध्यम से कौशल योजना संबंधी जानकारी लोकप्रिय बनाएं।

- **कार्रवाई बिंदु II - प्रत्येक जिले की क्षमता संबद्ध योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को निधीकरण और वित्तीय सहायता।** [संदर्भ - 25-1II.3(बी) (एनएसएफआई दस्तावेज़ के अनुबंध -II के अनुसार)]

- समय-सीमा – सतत्
- एसएलबीसी/ यूटीएलबीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:
  संबंधित राज्य/ संघशासित क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक ज़िले की संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) में मान्यता-प्राप्त कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं (आर-एसईटीआई, पीएमकेवीवाई, जेएसएस आदि) द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए समुचित रूप से आबंटन हो ताकि ऐसे व्यक्तियों को बैंकों की ऋण सहायता प्राप्त हो सके।